

13.1.2020

पत्रावली पैरा हुई। वसुन्दाए फॉर्किन उपवा
प्रार्थनापत्र प्रार्थी/प्रतिवादी आदेश 7 नियम
॥ जाहना हीवानी साबित होने पर स्वीकार कर
वाद वादी खारिज किया जाता है, निर्णय बुले
न्यायालय में जुनाभा गया। पत्रावली निर्णय
अलग से विस्तृत टंकित कराया गया। पत्रावली
निर्णय शुमार होकर नम्बाले कम होकर दायित्व
दफ्तर है

19/1
उपखण्ड अधिकारी
सौध सेक (जयपुर)

